कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/कले/SW/2020/ 948 कांकेर, दिनांक 24 मई, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक– 17.05.2020 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/906 कांकेर, दिनांक 19 मई, 2020 द्वारा **केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक (शुक्रवार की सायं 5.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रखते हुए) शासन के आदेशों के अधीन** सायं 05.00 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई थी ।

2/ आज दिनांक 24.05.2020 को अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, अध्यक्ष किराना संघ, मोबाईल विक्रेता संघ एवं अन्य व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सहमति के आधार पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की स्थिति सामान्य होने अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जिले में **चिन्हित कन्टेमेंट जोन को प्रतिबंधित करते हुए** सामान्य क्षेत्रों में निम्नानुसार दुकान/प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति दी जाती है :–

- किराना, सब्जी, फल, दुग्ध, मछली, मटन, चिकन, अण्डा – **(समय प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक)**
- कुलर, बिजली के पंखे तथा इलेक्ट्रॉनिक दुकान – **(समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक)**
- मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी – जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित समय अनुसार संचालित होंगी ।

उपरोक्त दुकान/प्रतिष्ठानों को सोशल/फिजीकल डिस्टेशिंग एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ निर्धारित समय तक ही संचालन की अनुमति दी जाती है । उक्त दुकान/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त अन्य सभी दुकान/प्रतिष्ठानों को आगामी आदेश पर्यन्त संचालन की अनुमति नहीं होगी ।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु इस कार्यालय से पूर्व में जारी शेष प्रतिबंधात्मक शर्ते यथावत रहेगी।

टीप :– नोवेल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत् जारी आदेश/निर्देशों का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर 24/5
एवं जिला दण्डाधिकारी
"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / कले / SW/2020 / 948-A कांकेर, दिनांक 24 मई, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर को पालनार्थ ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
13. सर्व थाना / चौंकी प्रभारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका / नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
15. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं समस्त व्यापारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की गाईड लाईन / सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने अग्रेषित।

कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर